PRS LEGISLATIVE RESEARCH



अध्यादेश का सारांश

होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2019

- होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को 2 मार्च, 2019 को जारी किया गया। अध्यादेश होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1973 में संशोधन करता है जिसके तहत सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की स्थापना की गई थी। सेंट्रल काउंसिल होम्योपैथिक शिक्षा और प्रैक्टिस को रेग्लेट करती है।
- सेंट्रल काउंसिल के सुपरसेशन की समयावधिः
 सेंट्रल काउंसिल के सुपरसेशन के लिए पिछले

वर्ष (2018 में) 1973 के एक्ट में संशोधन किया गया था। सेंट्रल काउंसिल को उसके सुपरसेशन की तारीख के एक वर्ष के भीतर दोबारा गठित किया जाना था। इस बीच केंद्र सरकार ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया था जो सेंट्रल काउंसिल की शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। अध्यादेश सेंट्रल काउंसिल के सुपरसेशन की समयावधि को एक वर्ष से दो वर्ष करने के लिए एक्ट में संशोधन करता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पृष्टि की जा सकती है।

गायत्री मान gayatri@prsindia.org

12 मार्च, 2019